

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 25.10.2024 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- ❖ थाना शिवली पुलिस द्वारा अ0सं0 293/24 धारा 140(1)/103(1)/238/3(5) बीएनएस व 3(2)5 एससी / एसटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित व इनामी 20000 रू0 अभियुक्त रतनेश कुमार उर्फ छोटू पुत्र अशोक कुमार नि0 जुगराजपुर विठूर थाना शिवली का0दे0 को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना रनियां पुलिस द्वारा अ0सं0 211/24 धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 अफसार पुत्र मो0 शहीद कुरैशी नि0 बिल्हापुर थाना भोगनीपुर का0दे0 को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 284/1998 धारा 304 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त मजीद पुत्र महबूब नि0 छतौनी थाना भोगनीपुर का0दे0 को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना मूसानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त राजकरन उम्र 29 वर्ष पुत्र श्री रामगोपाल निवासी वार्ड न0 4 अशोक नगर कस्बा मूसानगर थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात द्वारा सार्वजनिक स्थान मुक्ता देवी मन्दिर के पास सडक किनारे खडे होकर पर आने जाने वाली महिलाओ/लडकियो को देखकर अश्लील हरकते हुए अश्लील गाना गाने जिससे महिलाओ/लडकियो को शर्मिंदगी महसूस होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 100/2024 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा रमेश चन्द्र पुत्र पूरन बेलदार निवासी मोहल्ला पटेल नगर कस्बा व थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के पास से 01 अदद प्लास्टिक के थैले मे 12 अदद क्वार्टर देशी शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 0215/24 धारा धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 14 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रूरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना बरौर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों तथा थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।